



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-276977
CG-DL-E-09102026-276977

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5318]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 5318]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5530(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3431(E) तारीख 24/06/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के पटियाला जिले में NH7 के कि.मी. 50 से कि.मी.76 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 02/07/2026 को "हिंदुस्तान टाइम्स(अंग्रेजी)" और "पंजाबी जागरण (पंजाबी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पंजाब राज्य के पटियाला जिले में NH7 के कि.मी. 50 से कि.मी.76 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब			जिले का नाम: पटियाला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पटियाला					
गांव का नाम: साहिब नागर यूआरएफ थेरी (29)					
1	5//20/2	निजी	गैर मुमकिन बाग	0.0025	राधा स्वामी सत्संग ब्यास
2	6//16	निजी	बंजर कादिम	0.0607	राधा स्वामी सत्संग ब्यास
3	6//24	निजी	गैर मुमकिन	0.0506	राधा स्वामी सत्संग ब्यास
4	6//25	निजी	गैर मुमकिन	0.0253	राधा स्वामी सत्संग ब्यास
5	9//3	निजी	बंजर कादिम	0.0202	राधा स्वामी सत्संग ब्यास
6	9//4	निजी	बंजर कादिम	0.0051	राधा स्वामी सत्संग ब्यास
Total				0.1644	

[फा. सं. RW/NH-37014/12/2011-NHDP-IVA/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2026

S.O. 5530(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, s.o 3431(E) Dated:24/06/2026 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH7 in the stretch of land from Km. 50 to Km. 76 in the district of PATIALA in the state of PUNJAB

And whereas the substance of the said notification has been published in Hindustan Times (English)"and "Punjabi Jagran (Punjabi)" both dated 02.07.2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH7 in the stretch of land from Km. 50 to Km. 76 in the district of PATIALA in the state of PUNJAB

State: PUNJAB			District: PATIALA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Patiala					
Village: Sahib Nagar Urf Theri (29)					
1	5//20/2	Private	GAIR MUMKIN BAAG	0.0025	Radha Soami Satsang Beas
2	6//16	Private	BANJAR KADIM	0.0607	Radha Soami Satsang Beas
3	6//24	Private	GAIR MUMKIN	0.0506	Radha Soami Satsang Beas
4	6//25	Private	GAIR MUMKIN	0.0253	Radha Soami Satsang Beas
5	9//3	Private	BANJAR KADIM	0.0202	Radha Soami Satsang Beas
6	9//4	Private	BANJAR KADIM	0.0051	Radha Soami Satsang Beas
Total				0.1644	

[F. No. RW/NH-37014/12/2011-NHDP-IVA/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director